अध्याय III
स्ट्रेस्ड परिसम्पत्तियों का अस्वीकार्य विनिमय

3.1 न्यास के गठन के बाद परिसम्पत्तियों का अस्वीकार्य विनिमय

सितम्बर 2004 और मई 2005 के बीच छः स्थानांतर/ समनुदेशन /गिरवी करार का हस्तांतरण के निष्पादन द्वारा आईडीबीआई ने एसएएसएफ को ₹ 9004 करोड़ के कुल ऋण बकाया सहित 636 स्ट्रेस्ड परिसम्पत्तियॉ प्रदान की।

तथापि, आईडीबी बैंक ने दूसरी स्ट्रेस्ड परिसम्पत्तियों के लिए प्रतिवर्तन मामलों के विनिमय हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किए (फरवरी 2006/अप्रैल 2006)। मामलों का विनिमय अनुमति योग्य नहीं था क्योंकि एसएएसएफ के गठन का उद्देश्य केवल 31 मार्च 2004 तक मौजूद एनपीएज़/सम्भावित एनपीएज को अधिकार में लेना था। इस प्रकार, कोई अनुवर्ती विनिमय अनुमत नहीं था।

भारत सरकार ने आईडीबीआई बैंक को सूचना दी (मई 2006) कि मौजूदा स्ट्रेस्ड एसेट स्टेबिलाईजेशन फंड एक विशेष उद्देश्य अर्थात उस समय के लिए स्ट्रेस्ड परिसम्पत्तियों हेतु बनाया गया था और एसएएसएफ के कार्यक्षेत्र और जीवन को बढाना अनुपयुक्त होगा।

इसके बावजूद, आईडीबीआई बैंक के बोर्ड ने निर्णय लिया(जून 2006) और न्यास बोर्ड ने ₹ 1,335.29 करोड़ के एनएलओ सहित तीन नए मामलों के लिए ₹1,522.29 के एनएलओ एसजेके स्टील प्लांट लिमिटेड (एनएलओ ₹ 603.42 करोड़), एसपीआईसी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एनएलओ ₹ 528.46 करोड़) और श्री विष्णुप्रिय इन्डस्ट्रीज लि. (एनएलओ ₹ 203.41 करोड़) सहित आठ प्रतिवृति मामलों के विनिमय का अनुमोदन (24 जून 2006) किया। हस्तांतरण करार मामलों के विनिमय के लिए आईडीबीआई बैंक और एसएएसएफ के बीच कार्यान्वित (28 जून 2006) किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2006 में आईडीबीआई को हस्तांतरित किए गए आठ मामलों में ₹ 1,522.29 करोड़ के कुल एनएलओ के प्रति ₹ 1,659 करोड़ की वसूली की गई थी। दूसरी तरफ न्यास को हस्तांतरित किए गए तीन मामलों की स्थिति निम्नलिखित है:

₹ करोड़ में

क्रम सं.	उधारकर्ता का नाम	आयोजक का नाम	एनएलओ	वसूल की गई राशि
1	एसजेके स्टील प्लांट लि.	श्री वाई. जीथिन कुमार और वाई जनार्धन रॉय	603.42	359.41
2	एसपीआईसी पेट्रोकेमिकल्स	डा. ए.सी. मुथैय्या	528.46	0.71
3	श्री विष्णुप्रिया इन्डस्ट्रीज लि.	श्री एन.एच.सी सिवा रेड्डी , श्री आर. नेगी रेड्डी और एसोसिएट	203.41	0.20

इस प्रकार इस अस्वीकार्य विनिमय, जोकि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नही था, ने आईडीबीआई को लाभ पहुँचाया। आईडीबीआई को हस्तांतरित परिसम्पतियों पर वसूली एनएलओ से भी अधिक थी। विनिमय में न्यास द्वारा प्राप्त की गई परिसम्पत्तियों पर वसूली न्यूनतम थी।

3.2 तीन विनमय किए गए मामलों के निपटान की स्थिति

एसपीआईसी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एनएलओ ₹ 528.46 करोड़, वसूले गए ₹ 0.71 करोड़)

ऐसेट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (एआरसीआईएल) (जिसने आईसीआईसीआई बैंक, बैंक आफ बड़ोदा, देना बैंक और भारतीय स्टेट बैंक से ऋण अधिगृहीत किया और एसएएसएफ के बाद कम्पनी पर दूसरी सबसे बडी भार धारक थी) के आग्रह पर (अप्रैल 2010), एसएएसएफ ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत एसपीआईसी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एसपीएल) के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए एआरसीआईएल को सरफेसी अधिनियम के तहत सहमति दी थी।

तथापि, लेखापरीक्षा विश्लेषण ने दर्शाया कि एसपीएल से ₹ 528.46 करोड़ की वसूली निम्नलिखित कारणों से सम्भव नही थी:

आईडीबीआई द्वारा एसएएसएफ को हस्तांतरित स्ट्रेस्ड परिसम्पत्तियों के लिए उपलब्ध प्रतिभति कोस्सापुर, चेन्नई में स्थित एसपीएल की चल और अचल परिसम्पत्तियों पर भू-प्रभार था। तथापि, एसएएसएफ को निम्नलिखित कारणों से किसी प्रतिभूति को लागू करने में कठिनाई होगी:

(क) तमिलनाडु सरकार द्वारा एसपीएल को आबंटित भूमि दूसरी कम्पनी ऐरोकेम को आबंटित भूमि का भाग थी-एसपीआईसी का संयुक्त उद्यम। चूंकि, परियोजना आरम्भ नही हो रही थी तो इसे अस्थायी आधार पर एसपीआईसी को आबंटित कर दिया गया था जो एरोकेम के साथ अनिच्छुक समेकन का विषय था।

(ख) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 की धारा 44 ए के अनुसार राज्य सरकार द्वारा आबंटित भूमि को राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना गिरवी नहीं रखा जा सकता । राज्य सरकार द्वारा ऐसी मंजूरी के प्रमाण को उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता;

(ग) एसपीएल और तमिलनाडु सरकार के बीच करार की शर्तों के अनुसार एसपीएल के लिए अधिग्रहण की लागत का भुगतान करना अपेक्षित था, जिसमें विफल रहने पर भूमि सरकार द्वारा पुन: वापस ली जानी थी और एसपीएल को बन्द करते समय भूमि तमिलनाडु सरकार द्वारा वापस ली जानी थी। मद्रास उच्च न्यायालय में अक्तूबर 2012 में हुई सुनवाई में तमिलनाडु सरकार ने यह कहते हुए जवाबी आवेदन दायर किया कि प्रत्याभूत विक्रेता के पास ऋण नहीं था और यह कि भूमि को करार की शर्तों के अनुसार तमिलनाडु सरकार द्वारा पून: प्राप्त कर लिया जाना चाहिए; और

(ग) ₹ 400 करोड़ (लगभग) के आयातित उपस्कर सीमा शुल्क विभाग के संरक्षण में एसपीएल परिसर में पड़े थे। आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात) ने अगस्त 2004 में एसपीएल को ज्ञापन जारी किया और ₹ 456 करोड़ की अपनी देय राशि की वसूली के लिए ऋण वसूली न्यायालय मुम्बई के समक्ष मई 2005 में अन्तस्थ आवेदन दायर किया।

आईडीबीआई द्वारा ऋण संवितरण के समय कोई व्यक्तिगत प्रतिभूति नहीं ली गई थी।

चूंकि अचल सम्पत्ति की बिक्री पर रोक आदेश था, तथापि एआरसीआईएल चल सम्पति को बेचने का प्रयत्न कर रही थी जिसका आरक्षित मूल्य ₹ 20.93 करोड़ की नगण्य राशि था। न्यास का यथानुपात उपलब्ध नही था।

3.2.2 श्री विष्णुप्रिया इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (एनएलओ ₹ 203.41 करोड़; वसूले गए ₹ 0.20 करोड़)

पार्टी की परिसम्पत्तियों का कुल वसूली योग्य मूल्य ₹ 66.91 करोड़ की आयातित मशीनरी, जिस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण ने दावे किए थे, को छोड़ कर

₹ 18.17 करोड़ था। आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने संरक्षित परिसम्पत्तियॉ (भूमि और आयातित मशीनरी को छोड़कर) की बिक्री के लिए आधिकारिक परिसम्पत्तियों को आदेश दिया था। बिक्री अभी पूरी की जानी थी (मार्च 2013)। इस मामले में व्यक्तिगत प्रतिभूतियां उपलब्ध थी लेकिन वह सम्पत्ति ब्योरे के बिना थी।

3.2.3 एसजेके स्टील प्लांट लिमिटेड (एनएलओ ₹ 603.42 करोड़ वसूले गए ₹359.41 करोड़)

₹ 603.42 करोड़ के एनएलओ के प्रति न्यास ने मार्च 2013 तक ₹ 359.41 करोड़; प्राप्त किए थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 244.01 करोड़ का घाटा हुआ।

मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि यद्यपि परिसम्पत्तियों के विनिमय एसएएसएफ के गठन के उद्देश्य और कार्यक्षेत्र के अनुरूप नहीं थे जिन्हें परिसम्पत्तियों के विनिमय के प्रस्ताव को मई 2006 में आईडीबीआई से प्राप्त करते समय भारत सरकार द्वारा दोहराया गया था, बैंक ने बैंक के हित में और कुछ स्ट्रेस्ड परिसम्पत्तियों जिनमें पुनर्जीवन की सम्भावना थी को बचाने के लिए व्यवसायी निर्णय लिया था । तथापि, चूंकि भारत सरकार परिसम्पत्तियों के विनिमय के लिए बैंक के प्रस्ताव से सहमत नही थी, लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया था और आईडीबीआई बैंक को विभिन्न् विनियामक प्राधिकरणों, बोर्ड सरकार आदि से अनुमोदन प्राप्त करने जैसे आवश्यक उपायों, यदि कोई है, और यथा सम्भव 2006-07 में परिसम्पत्तियों के विनिमय से पूर्व की स्थिति को सुधारने के लिए वित्त वर्ष 2014-15 से शुरू अगले तीन से पांच वर्षों में प्रक्रिया को पूरा करने और बैंक द्वारा अधिग्रहण की गई परिसम्पत्तियो के मूल्य के बराबर बैंक द्वारा प्राप्त विशेष प्रतिभूतियों की परिणामी विमुक्ति सहित सभी नैदानिक उपाय करने का निर्देश दिया जा रहा था क्योकि इस समय पर एसएएससफ आईडीबीआई द्वारा पून: वितपोषित की जा रही परिसम्पत्तियों और उनके वास्तविक मूल्य तथा परिवर्तित स्वरूप को वापस नही ले सकता ।इसके अतिरिक्त, बैंक को तीन परिसम्पतियों जिन्हें एसएएसएफ को विनिमय में दिया गया है को वापस लेने का भी निर्देश दिया जा रहा था।